

25/11/2025

श्रीमान जी,
जो मेरा पत्र पेश करने से
अधिकार का सुरक्षित
रखते हुये कार्रवाई
करते हैं।

विम
Adv.
25-2-25

प्राबली पेश इसी वकील वारी श्री चित्तुमार जोशी उपा.
वकील वारी नमि वाह "उस्तुत करने" के वाहीगणे के अधिकार
को सुरक्षित रखते हुये वाह पत्र विज्ञा करना चाहते हैं वही
अधिकारिता ही सुना गया। वकील वारी द्वारा नवीन वाह पत्र
उस्तुत करने के वाहीगणे के अधिकारों को सुरक्षित रखते
हुये, वाह पत्र विज्ञा किये जाने का निवेदन किया। वकील
वारी द्वारा एक इस बखत प्राबली शरीरका परिष्पणी
दर्ज की गयी ऐसी स्थिति में वाह पत्र पर अगि की ही कार्यवाही
अपेक्षित नहीं है। अतः वकील वारी के माखिके, अगि तब
दर्ज टिप्पणी के स्वीकार ही जाकर, प्राबली पत्र में
नवीन वाह प्रस्तुत करने के वाहीगणे के अधिकार को
सुरक्षित रखते हुये वाह पत्र पर कार्यवाही इसी स्तर पर
समाप्त ही जाती हो। प्राबली केवल शुमार ही। माखिके
कम होकर वाखिल व्यतर ही।

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)